क्रम-संख्या —595

रजि0 नं0 एल. डब्लू./एन. पी. 561
लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0—41
लाइसेंन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 25 जुलाई, 1990

श्रावण 3, 1912 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1885/सत्रह-वि—1-1 (क) 24-1990

लखनऊ, 25 जुलाई, 1990

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन योजना (विधिमान्यकरण) विधेयक, 1990 पर दिनांक 23 जुलाई, 1990 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1990 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन योजना (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1990

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1990]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

कतिपय सड़क परिवहन योजनाओं की तैयारी और प्रकाशन को विधिमान्य करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकतालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन योजना (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1990 कहा जायगा।

(2) यह 26 मई, 1990 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

कतिपय योजनाओं की तैयारी और प्रकाशन का विधिमान्यकरण

2--जहां मोटर यान अधिनियम, 1939 के निरसन के पूर्व, राज्य परिवहन उपक्रम के महाप्रबन्धक या प्रबन्ध निदेशक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 68-ग के अधीन कोई योजना (स्कीम) तैयार या प्रकाशित की गयी हो, वहां यह समझा जायगा कि योजना राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा तैयार या प्रकाशित की गयी है और ऐसी योजना केवल इस आधार पर कि उसे ऐसे उपक्रम के महाप्रबन्धक या प्रबन्ध निदेशक द्वारा तैयार या प्रकाशित किया गया था, अवैध या शून्य या कभी भी अवैध या शून्य हुई नहीं समझी जायगी।

निरसन

3--उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन योजना (विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1990 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 1990

आज्ञा से,
नारायण दास,
सचिव।

No. 1885(2)/XVII-V—1-1(KA)24-1990

Dated Lucknow, July 25, 1990

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sarak Parivahan Yojana (Vidhimanyakaran) Adhiniyam, 1990 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 21 of 1990) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on July 23, 1990.

THE UTTAR PRADESH ROAD TRANSPORT SCHEMES (VALIDATION) ACT, 1990

[U. P. Act No. 21 of 1990]

(As passed by the U. P. Legislature)

AN

ACT

to validate preparation and publication of certain road transport schemes.

It is hereby enacted in the Forty-first Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Road Transport Schemes (Validation) Act, 1990.

(2) It shall be deemed to have come into force on May 26, 1990.

Validation of preparation and publication of certain schemes

2. Where any scheme had been prepared or published under section 68-C of the Motor Vehicles Act, 1939 by the General Manager or the Managing Director of the State Transport Undertaking before the repeal of the said Act, the scheme shall be deemed to have been prepared or published by the State Transport Undertaking and such scheme shall not be deemed to be illegal or void or ever to have become illegal or void merely on the ground that the same had been prepared or published by the General Manager or the Managing Director of such undertaking.

Repeal

3. The Uttar Pradesh Road Transport Schemes (Validation) Ordinance, 1990, is hereby repealed. U. P. Ordinance no. 13 of 1990.

By order,
NARAYAN DAS,
Sachiv.

पी0एस0यू0पी0--ए0पी0 124 सा0 विधा0--(1494)--1990--850 (मेक0)।